परिसीमन

प्रिलिम्स के लिये:

परिसीमन, परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952, भारतीय संविधान, परिसीमन आयोग, 15वाँ वित्त आयोग, भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

मेन्स के लिये:

परिसीमन की आवश्यकता एवं संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

दक्षिणी राज्यों के कई राजनेता जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं, जिसे वे अनुचित मानते हैं।

- जनसंख्या नियंत्रण नीतियों का पालन करने वाले दक्षिणी राज्य अब जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में अपनी सफलता के बावजूद संभावित नुकसान का सामना कर रहे हैं।

परिसीमन:

- **परिचय:**
  - परिसीमन का **अर्थ है विधायी निकाय वाले देश या प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण** करने की प्रक्रिया।
    - **लोकसभा (LS)** और **विधानसभा (LS)** के लिये परिसीमन स्थानीय निकायों से अलग है।
  - परिसीमन आयोग अधिनियम वर्ष 1952 में अधिनियमित किया गया था।
    - **परिसीमन आयोग** का गठन भारत के **राष्ट्रपति द्वारा** किया जाता है तथा यह **भारत निर्वाचन आयोग** के सहयोग से कार्य करता है।
  - 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधिनियमों के आधार पर चार बार वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है।
  - पहला परिसीमन अभ्यास **वर्ष 1950-51 में राष्ट्रपति (चुनाव आयोग की मदद से) द्वारा** किया गया था।
- **इतिहास:**
  - लोकसभा की **राज्यवार संरचना में परिवर्तन लाने वाला अंतिम परिसीमन वर्ष 1976 में** पूरा हुआ और यह **वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर** किया गया।
  - **भारत का संविधान** यह आज्ञापित करता है कि **लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर होना चाहिये** ताकि सीटों का जनसंख्या से अनुपात सभी राज्यों में लगभग सामान हो। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति के वोट का भारांक लगभग समान हो, भले ही वे किसी भी राज्य में रहते हों।
    - हालाँकि इस प्रावधान का अर्थ यह था कि जनसंख्या नियंत्रण में कम दिलचस्पी लेने वाले राज्यों को संसद में अधिक संख्या में सीटें मिल सकती हैं।
  - इस तरह के परिणामों से बचने के लिये संविधान में संशोधन किया गया। **42वें संशोधन अधिनियम, 1976** ने वर्ष 1971 के परिसीमन के आधार पर **वर्ष 2000 तक** के लिये राज्यों में लोकसभा में सीटों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन पर रोक लगा दी।
  - 84वें संशोधन अधिनियम, 2001 ने सरकार को वर्ष 1991 की जनगणना के जनसंख्या आँकड़ों के आधार पर राज्यों में **क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन** और युक्तिकरण का अधिकार दिया।
  - 87वें संशोधन अधिनियम, 2003 में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया, न कि वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर।
    - हालाँकि यह लोकसभा में प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या में बदलाव किये बिना किया जा सकता है।
- **आवश्यकता:**
  - जनसंख्या के **समान वर्गों को समान प्रतिनिधित्व** प्रदान करने हेतु।
  - **भौगोलिक क्षेत्रों के उचित विभाजन** हेतु ताकि चुनाव में एक राजनीतिक दल को दूसरों पर फायदा न हो।

- **"एक वोट एक मूल्य"** के सद्धिांत का पालन करने हेतु।
- **संवैधानकि प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 82 के तहत** संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक **परसीमन अधनियिम** बनाती है।
  - **अनुच्छेद 170 के तहत** राज्यों को प्रत्येक जनगणना के बाद परसीमन अधनियिम के अनुसार क्षेत्रीय नरि्वाचन क्षेत्रों में वभिाजति कयिा जाता है।

परसीमन संबंधी चतिाएँ:

- **क्षेत्रीय असमानता:**
  - नरि्णायक कारक के रूप में जनसंख्या के कारण **लोकसभा में भारत** के उत्तर और दक्षणि भाग के बीच प्रतनिधित्वि में असमानता है।
  - केवल जनसंख्या पर आधारति परसीमन **दक्षणि राज्यों द्वारा जनसंख्या नयिंत्रण में की गई प्रगतकिी अवहेलना करता है** और संघीय ढाँचे में असमानताओं का कारण बनता है।
    - देश की जनसंख्या का केवल 18% होने के बावजूद **दक्षणि राज्य देश के सकल घरेलू उत्पाद में 35% योगदान करते हैं।**
  - उत्तरी राज्य जनसंख्या नयिंत्रण को प्राथमकिता नहीं देते हैं तथा**उच्च जनसंख्या वृद्धकि कारण परसीमन प्रक्रयिा में उन्हें लाभ मलिने** की उम्मीद है।
- **अपर्याप्त वत्तिपोषण:**
  - 15वें वत्तिि आयोग द्वारा 2011 की जनगणना को अपनी सफिारशि के आधार के रूप में उपयोग करने के बाद दक्षणि**राज्यों के संसद में वत्तिपोषण और प्रतनिधित्वि खोने के बारे में चतिा जताई गई।**
  - इससे पहले 1971 की जनगणना को राज्यों को वत्तिपोषण और कर वचिलन सफिारशिों के आधार के रूप में उपयोग कयिा गया था।
- **अनुसूचति जाति/अनुसूचति जनजातकि आरक्षण को प्रभावति करना:**
  - सीटों के नरि्धारति परसीमन और **पुनः आवंटन के परणिामस्वरूप न केवल दक्षणि राज्यों** के लयि सीटों की हानहिो सकती है बल्कि उत्तर में अपने आधार के साथ **राजनीतकि दलों के लयि सत्ता में वृद्धभिी** हो सकती है।
    - यह संभवतः उत्तर की ओर और दक्षणि से दूर शक्तकिा स्थानांतरण कर सकता है।
  - यह अभ्यास प्रत्येक राज्य में **अनुसूचति जातिऔर अनुसूचति जनजाति(SC/ST) के लयि आरक्षति** सीटों के वभिाजन को भी प्रभावति करेगा **(अनुच्छेद 330 और 332 के तहत)।**

परसीमन आयोग

- **गठन:**
  - परसीमन आयोग का गठन भारत के **राष्ट्रपति** द्वारा कयिा जाता है तथा **भारत नरि्वाचन आयोग** के सहयोग से कार्य करता है।
- **संरचना:**
  - **सर्वोच्च न्यायालय** के सेवानवृित्त न्यायाधीश
  - **मुख्य नरि्वाचन आयुक्त**
  - संबंधति राज्य के नरि्वाचन आयुक्त
- **कार्य**:
  - सभी नरि्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या को लगभग बराबर करने के लयि नरि्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का नरि्धारण करना।
  - **अनुसूचति जातयिों और अनुसूचति जनजातयिों** के लयि आरक्षति सीटों की पहचान करना, जहाँ उनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत अधकि है।
- **शक्तयिाँ:**
  - आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद के मामले में बहुमत की राय प्रबल होती है।
  - भारत में परसीमन आयोग एक उच्च-शक्तप्राि्त नकिाय है, जसिके आदेशों को कानून का संरक्षण प्राप्त होता है और कसिी भी न्यायालय के समक्ष इस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

आगे की राह

- वर्ष 2031 की जनगणना के आधार पर नरि्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को फरि से परभिाषति करने हेतु एक**परसीमन आयोग का गठन कयिा जाना चाहयि**ि। परसीमन आयोग द्वारा की गई जनसंख्या सफिारशिों के आधार पर**राज्यों को छोटे राज्यों में वभिाजति करने के लयि एक** राज्य पुनर्गठन अधनियिम **बनाया जाना चाहयि।**
- पछिले परसीमन अभ्यास ने बताया कि**भारत की जनसंख्या में वृद्धि** हुई है तथा राजनीतकि प्रतनिधित्वि में **परणिामी वषिमता को दूर करने की आवश्यकता पर बल** दयिा है।
- परसीमन की कसौटी के रूप में केवल जनसंख्या पर नरि्भर रहने के बजाय अन्य कारकों जैसे**कविकास संकेतक, मानव वकिास सूचकांक और परविार नयिोजन कार्यक्रमों को लागू** करने के प्रयासों पर वचिार करना चाहयि। यह**राज्यों की ज़रूरतों और उपलब्धयिों का अधकि व्यापक एवं न्यायसंगत प्रतनिधित्वि** प्रदान करेगा।
- जनि राज्यों ने प्रभावी ढंग से परविार नयिोजन कार्यक्रमों को लागू कयिा है **उनके प्रयासों की सराहना और पुरस्कृत कयिा जाना चाहयि।**
- संतुलति दृष्टकिोण को शामलि करने के लयि नधियिों के हस्तांतरण के **दशिा-नरि्देशों की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहयि।**
- वलिय के लयि प्रस्तावति क्षेत्रों की वकिास क्षमता और जनसंख्या में उनकी वृद्धि को परसीमन अभ्यास के मानदंड के रूप में देखा जाना चाहयि।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2012)

1. परिसीमन आयोग के आदेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
2. जब परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं, तो वे आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/delimitation-11